

प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान

## सूचना

राज्य सरकार की प्रदेश के 50000 किसानों को 3 एच. पी. से 10 एच. पी. क्षमता के सोलर पंप पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देने की योजना है। किसान अपनी जमीन पर सौर पंप लगाकर सिंचाई कर सकते हैं। प्रथम चरण में इस वर्ष 15000 सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

**आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 30.09.2019 तक बढ़ा दी गई है।**

इन पंपों के लिए वही किसान पात्र होंगे जिन्होंने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली/भूमिगत पाइपलाइन लगाई हो/लगाने को सहमत हो।

ऑनलाईन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आधार कार्ड (मोबाईल न0 लिंक सहित)।
- कृषि भूमि की जमाबन्दी/फर्द।
- खेत में स्थापित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइपलाइन का प्रमाण (अगर स्थापित है तो)।
- खेत में बनाए गए टैंक (तालाब) का प्रमाण (अगर बनाया है तो)।

आवेदन हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल

**([saralharyana.gov.in](http://saralharyana.gov.in)) पर ऑनलाईन कर सकते हैं।**

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा

अक्षय ऊर्जा भवन, सेक्टर-17, पंचकूला दूरभाष : 0172-2587233, 2587833

ईमेल- [hareda-chd@nic.in](mailto:hareda-chd@nic.in)

website:- [www.hareda.gov.in](http://www.hareda.gov.in)